# राजस्थान–सरकार
## खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण जयपुर

क्रमांकः–एफएसएटी/नियुक्ति/2016–17/93 दिनांक–20.02.2017

## विज्ञप्ति

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक **F.34(9)M&H/Gr.3/2012 Dated 24-07-2015** के द्वारा खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर का सृजन किया गया है। राज्य सरकार के आदेश क्रमांकःप. 34(7)चिस्वा./ग्रुप–3/2016 दिनांक 13.04.2016 तथा आदेश क्रमांकः प. 34(7)चिस्वा./ग्रुप–3/2016 दिनांक 27.06.2016 के द्वारा सृजित पदों में से रिक्त पदों का विवरण नीचे दिया गया है। रिक्त पदों को भरने हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अपनी आ.श. टी. क्रमांक–प.13(4)साप्र/3/2005 दिनांक 27.01.2017 से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण हेतु निम्न रिक्त पदों को नियमानुसार भरे जाने के लिये ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट **http://fsat-raj.in**से भरे जा सकेंगें। इस हेतु आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि का इन्तजार किये बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि **28.02.2017 रात्रि 11:59 बजे है** (इसके उपरान्त लिंक निष्क्रिय हो जायेगा)।

**विशेष नोट**:–(1). ऑनलाईन अप्लीकेशन फार्म में समस्त वांछित सूचनाऐं अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन में सुधार हेतु कोई पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(2). आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

2. **सेवावार रिक्त पदों का विवरण–**

**निम्न पद राज्य सरकार के विभागों/न्यायालयों/निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत कर्मचारियों से विभागीय अन्तरण/ प्रतिनियुक्ति/पुनर्नियुक्ति से भरे जायेगें। क्रम संख्या 6 व 7 में वर्णित पदों के लिये उपरोक्त रीति से योग्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने की दशा में क्रम संख्या 6 व 7 में वर्णित पद सीधी भर्ती से भरें जायेगें।**

| क्रम संख्या | पदनाम | वेतनमान | रिक्तियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | वरिष्ठ निजी सहायक | 9300–34800 ग्रेड पे 4800 | 01 |
| 2 | रीडर | 9300–34800 ग्रेड पे 3600 | 01 |
| 3 | स्टेनोग्राफर | 9300–34800 ग्रेड पे 3600 | 01 |
| 4 | लिपिक ग्रेड प्रथम | 5200–20200 ग्रेड पे 2800 | 02 |
| 5 | लिपिक ग्रेड द्वितीय | 5200–20200 ग्रेड पे 2400 | 03 |
| 6 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 5200–20200 ग्रेड पे 1700 | 06 |
| 7 | वाहन चालक | 5200–20200 ग्रेड पे 2400 | 01 |
| | कुल योग | | 15 |

**(3)क्रम संख्या 6 एवं 7 पर वर्णित पदों पर सीधी भर्ती हेतु आरक्षण कार्मिक विभाग के परिपत्र –आदेश एफ. 15(24)डीओपी/ए–II/75 दिनांक 20.11.1997 के साथ संलग्न appendix जिसकी प्रति विभागीय वेबसाईट *http://fsat-raj.in* पर उपलब्ध है, के अनुसार होगा।**

3. **आवेदन प्रकियाः**

**(क)** आवेदन ***Online Application Form*** में लिये जायेंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क के माध्यम से भरा जा सकता है। आवेदक यदि स्वयं अपने स्तर पर ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरना चाहता है, तो वह विभाग की वेबसाइट ***http://fsat-raj.in*** पर स्वयं आवेदन भर सकता है। ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिये अनुदेश व प्रपत्र उक्त वेब–साइट पर उपलब्ध है। हाथ से भरेगएआवेदन–पत्र किसी भी रूपमें विभाग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाऐंगे।

**(ख)** अभ्यर्थी यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन–पत्र का प्रिंट उपलब्ध होगा

**(ग)** और यदि आवेदन–पत्र प्रिंट प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसके आवेदन–पत्र भरने की प्रक्रिया अपूर्ण रह गयी है।

3. आवेदन शुल्कः–

(1) राज्य सरकार के विभागों/निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के विभागीय अन्तरण/डेपुटेशन/प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन किये जाने की दशा में कोई शुल्क देय नहीं है।

**(2)** सेवानिवृत कर्मचारियों द्वारा आवेदन किये जाने की दशा में शुल्क 50/– रूपये देय होगा।

**(3).** सीधी भर्ती हेतु आवेदन किये जाने पर सामान्य अभ्यर्थी हेतु शुल्क 250/– एवं आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जाति/जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/महिला/विवाह–विच्छिन्न एवं विधवा महिला) हेतु शुल्क 150/– रूपये होगा।

नोटः–

**राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./वि. पि.व./महिला अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जावेगा।**

**(i) ऑनलाईन आवेदन में सुविधा हेतु आवेदक आवेदन–पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाईट से डाउनलोड कर लें और उसे ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व हाथ से भर लें।**

**(iii) आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन–पत्र अंतिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों का प्रिंट आउट लेकर आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गईं हैं।**

5. नोटः–

(1). उपरोक्त पदों पर नियुक्ति समान पद से प्रतिनियुक्ति से/ विभागीय अन्तरण से अथवा समान पद से सेवानिवृत कर्मचारियों की पुर्ननियुक्ति की जावेगी। परन्तु क्रम संख्या 6 व 7 में वर्णित पदों के लिये उपरोक्त रीति से योग्य कर्मचारी उपलब्ध नहीं होने की दशा में क्रम संख्या 6 व 7 में वर्णित पद सीधी भर्ती से भरें जायेगें।

(2). पद संख्या 3 एवं 5 के लिये प्रतिनियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित कर्मचारी उपलब्ध होने तक विभागीय अन्तरण/प्रतिनियुक्ति से अथवा समान पद से सेवानिवृत कर्मचारियों की पुर्ननियुक्ति की जावेगी।

(3). सेवानिवृत कर्मचारी की पुर्नियुक्ति राज्य सरकार के आदेश क्रमांक–एफ. 17(10)डीओपी/ए–II/94 दिनांक 10 फरवरी 2016 में दिये गय दिशा निर्देशों के अन्तर्गत की जावेगी।

6. **राष्ट्रीयता** :–

अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो या संबंधित सेवा नियमों में वर्णित व्यक्ति।

7. **आयु** :–

सीधी भर्ती के आवेदक आवेदन करने की नियत अन्तिम तिथि को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और दिनांक 01.01.2018 को 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि ऊपर उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में :–

a) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी। राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा।

b) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

c) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों को, जो राजस्थान के मूल निवासी हैं, के मामले में आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

**स्पष्टीकरणः–**

किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

d) रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों और भूतपर्वू सैना कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु राजस्थान सिविल सेवा (भूतपर्वू सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष में सैन्य क्रास/वीरचक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलन योग्य होगी।

e). विधवा और विवाह–विछिन्न महिला के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी। परन्तु आयु के स्पष्टीकरण : विधवा महिला को सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपने पति का मृत्यु प्रमाण